POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 24.11.2026

थाना एयरपोर्ट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, पीड़िता/अपहृता सकुशल बरामद

थाना एयरपोर्ट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0-203/2026 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त रंजीस उर्फ रंजीत पुत्र रामचन्द्र निषाद निवासी ग्राम कंजासा थाना बारा जनपद प्रयागराज हालपता ग्राम जलालपुर भर्ती थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 24.11.2026 को यूनाइटेड मेडिसिटी रावतपुर थाना क्षेत्र एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रंजीस उर्फ रंजीत पुत्र रामचन्द्र निषाद निवासी ग्राम कंजासा थाना बारा जनपद प्रयागराज हालपता ग्राम जलालपुर भर्ती थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-203/2026 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0 थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अवधेश सोनी, थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. का0 बृजेश यादव, थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. म0का0 शालिनी गौतम, थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।

अपहरण के दो भिन्न-भिन्न अभियोगों से संबंधित 02 पीड़िता/अपहृता थाना एयरपोर्ट पुलिस द्वारा सकुशल बरामद

थाना एयरपोर्ट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत दो भिन्न-भिन्न अभियोगों से संबंधित पीड़िता/अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवरण निम्नवत है:-

प्रकरण-1

थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0- 196/2026 धारा 137(2)/127/352 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 24.11.2026 को ऐरावत चौराहा के पास थाना क्षेत्र एयरपोर्ट से सकुशल बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण-2

थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2026 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01अपहृता को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 24.11.2026 को पीपलगाँव थाना क्षेत्र एयरपोर्ट से सकुशल बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कुमार गौरव सिंह, थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. का0 परमवीर यादव, थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. म0का0 शालिनी गौतम, थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।

हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना मऊआइमा व सर्विलांस सेल गंगानागर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर व 02 कारतूस .315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-20.11.2026 की शाम करीब 18.30 बजे थाना मऊआइमा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लोकापुर में गोली लगने से 01 व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की सूचना पर पुलिस उपायुक्त गंगानगर, अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर, सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव व थाना प्रभारी मऊआइमा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को मॉर्चरी भेजकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मऊआइमा पर मु0अ0सं0-434/2026 धारा-103(1)/61(2)ए/351(3) भा0न्या0सं0 पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पुलिस की कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर

पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना मऊआइमा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-434/2026 धारा-191(2)/191(3)/190/103(1)/61(2)ए भा0न्या0सं0 से सम्बंधित 03 अभियुक्त 1. अनिल कुमार पटेल उर्फ बरसाती पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम लोकापुर थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज 2. कृष्ण कुमार पटेल उर्फ के.के. पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम अचकवापुर थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज 3. बृजलाल पटेल उर्फ खूंटी पुत्र रामलाल निवासी ग्राम तख्खू का पूरा ददौली थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना मऊआइमा व सर्विलांस सेल गंगानागर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक-23.11.2026 को थाना मऊआइमा क्षेत्रान्तर्गत सकरामऊ-हरिसेनगंज पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर व 02 कारतूस .315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद की गयी। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-3/25 आर्म्स एक्ट व 317(2)/191(2)/191(3)/190 भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त अनिल कुमार पटेल उर्फ बरसाती का लगभग 20 वर्षीय भाई रंजीत पटेल अधिकांश समय मृतक विजय लाल पटेल उर्फ मिन्टू के साथ रहता था, जो स्वयं शराब पीता था और रंजीत को भी शराब पीने का आदी बना चुका था। अप्रैल 2026 में विजय लाल पटेल, रंजीत को गाँव के बगल स्थित रेलवे ट्रैक पर ले गया जहाँ दोनों ने साथ बैठकर शराब पी और इसी दौरान रंजीत की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई जबकि विजय लाल बच गया, साथ ही अभियुक्त के परिवार का विजय लाल से पूर्व से जमीनी विवाद भी चल रहा था और रंजीत की मौत के बाद विजय लाल अक्सर गाँव में यह कहकर रौब झाड़ता था कि उसी ने रंजीत को ट्रेन के आगे फेंक कर मारा था और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। इसी रंजिश व प्रतिशोध की भावना से अनिल कुमार पटेल ने अपने मामा के लड़के कृष्ण कुमार पटेल उर्फ के.के. के साथ मिलकर विजय लाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, जिसके तहत कृष्ण कुमार पटेल ने ददौली में पान की दुकान चलाने वाले

बृजलाल पटेल उर्फ खूंटी को भी शामिल किया। दिनांक 20.11.2026 को तीनों अभियुक्त पूरी तैयारी के साथ अपाचे मोटरसाइकिल से गाँव के बाहर बने अंडरपास के बगल स्थित पीपल के पेड़ के पास पहुँचे जहाँ विजय लाल पटेल बैठा था, वहाँ अनिल कुमार पटेल ने कृष्ण कुमार पटेल उर्फ के.के. को बताया कि यही वह व्यक्ति है जिसने उसके भाई को मारा था, जिस पर कृष्ण कुमार पटेल ने अपने तमंचे से विजय लाल को गोली मार दी जबकि बृजलाल पटेल उर्फ खूंटी एक अन्य लोडेड असलहा लेकर मोटरसाइकिल पर बैठा रहा ताकि पकड़ने या रोकने आने वालों को भी गोली मारी जा सके। घटना के बाद संदेह से बचने के लिए अनिल कुमार पटेल पैदल अपने घर चला गया तथा कृष्ण कुमार पटेल और बृजलाल पटेल उर्फ खूंटी मोटरसाइकिल से भाग गए। तीनों पुनः बाहर भागने की योजना बना रहे थे तथा गाँव के किसी व्यक्ति या पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किए जाने पर असलहे से हमला करने की फिराक में थे, परंतु उससे पहले ही पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अनिल कुमार पटेल उर्फ बरसाती पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम लोकापुर थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 29 वर्ष।
2. कृष्ण कुमार पटेल उर्फ के.के. पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम अचकवापुर थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 23 वर्ष।
3. बृजलाल पटेल उर्फ खूंटी पुत्र रामलाल निवासी ग्राम तख्खू का पूरा ददौली थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 55 वर्ष।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-434/2026 धारा-103(1)/61(2)ए/351(3) भा0न्या0सं0 व बढ़ोतरी धारा-3/25 आर्म्स एक्ट व धारा- 317(2)/191(2)/191(3)/190 भा0न्या0सं0 थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

* 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस .315 बोर (अभियुक्त कृष्ण कुमार पटेल उर्फ के.के. उपरोक्त के कब्जे से)।
* 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस .315 बोर (अभियुक्त बृजलाल पटेल उर्फ खूंटी उपरोक्त के कब्जे से)।
* घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल।

अभियुक्त कृष्ण कुमार पटेल उर्फ के.के. उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-434/2026 धारा-103(1)/61(2)ए/351(3) भा0न्या0सं0 व बढ़ोतरी धारा-3/25 आर्म्स एक्ट व धारा- 317(2)/191(2)/191(3)/190 भा0न्या0सं0 थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-151/23 धारा-323/504/506 भा0द0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0-509/23 धारा-147/323/427/452/504/506 भा0द0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त बृजलाल पटेल उर्फ खूंटी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-434/2026 धारा-103(1)/61(2)ए/351(3) भा0न्या0सं0 व बढ़ोतरी धारा-3/25 आर्म्स एक्ट व धारा- 317(2)/191(2)/191(3)/190 भा0न्या0सं0 थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-340/25 धारा-115(2)/352/351(2) भा0न्या0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. व0उ0नि0 बालेन्द्र सिंह थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।

3. उ0नि0 सुखचैन तिवारी, प्रभारी सर्विलांस सेल गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 ब्रजेश कुमार तिवारी थाना मऊआइमा, कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. उ0नि0 सौरभ यादव, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. उ0नि0 विकास चन्द्र, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।
7. उ0नि0 आलोक सिंह, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।
8. उ0नि0 आयुष सिंह, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।
9. उ0नि0 हरिशंकर, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल व 01 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-23.11.2026 को मुकदमा वादी के पुत्र की हल्दी रस्म के दौरान अभियुक्त शिव प्रकाश पटेल पुत्र विक्रमादित्य पटेल निवासी बहोरिकपुर थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा अवैध असलहे से गोली चलाई गई। गोली लगने से मुकदमा वादी की बहन की मृत्यु हो गई जिसके सम्बंध में मुकदमा वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना फाफामऊ पर मु0अ0सं0-270/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना फाफामऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-270/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित अभियुक्त शिव प्रकाश पटेल पुत्र विक्रमादित्य पटेल निवासी

बहोरिकपुर थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-24.11.2026 को थाना फाफामऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बारी गौरा के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे/निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल व 01 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिव प्रकाश पटेल पुत्र विक्रमादित्य पटेल निवासी बहोरिकपुर थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 30 वर्ष।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-270/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल व 01 खोखा कारतूस .32 बोर।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 छोटक यादव, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 मो0 हरून, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 सौमित्र सिंह, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. का0 राजेश्वर, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. का0 गौरव कुमार, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।